न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 187 / 2023

निर्णय दिनांक :–28.11.2023

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. कमला पुत्री लादू जाति खटीक निवासी गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला–टोंक राज0
2. केसर पत्नि लादू जाति खटीक निवासी गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला–टोंक राज0
3. बदाम पुत्री लादू जाति खटीक निवासी गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला–टोंक राज0
4. भरोसी पुत्री लादू जाति खटीक निवासी गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला–टोंक राज0
5. महावीर पुत्र लादू जाति खटीक निवासी गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला–टोंक राज0
6. संतोष पुत्री लादू जाति खटीक निवासी गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला–टोंक राज0
7. हरिराम पुत्र लादू जाति खटीक निवासी गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला–टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0 –अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

श्री रमेश कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार नगरफोर्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम वास्ते किये जाने पत्थरगढी

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खाता सं0 476 खसरा नं0 1204 रकबा 0.56 है0, खसरा नं0 1325 रकबा 1.50 है0,खसरा नं0 922 रकबा 0.20 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 2.26 है0 भूमि वाके गुराई प0ह0 गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला–टोंक राज0 में स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि के अडवे ही अन्य खातेदारान जो बहुबल एवं अपने लठ के ज़ोर पर प्रार्थी को डरा धमकाकर प्रार्थीगण की भूमि में नाजायज रूप से कब्जा करने की नियत से मेड, डोल को हकाई कर नष्ट कर अपने खेतो में मिला लिया और प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में हकाई, बुआई व फसल काश्त करने में बेजा मजामत करते है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में लडी मेड, डोल एवं सीमा चिन्ह को नष्ट कर दिया गया है। इस

कारण मौके पर विवाद बना रहता है। एवं प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में फसल काश्त करने में परेशानियों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थर गढी करवाना चाहते है जिससे पडौसी खातेदारान से विवाद नहीं रहे और प्रार्थीगण को हकाई बुआई करने में सुविधा हो सके। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की आराजीयात की विधिवत पत्थर गढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थी तहसीलदार नगरफोर्ट की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:– ग्राम गुराई के ख. नं. 1204 रकबा 0.56 है0, ख. नं. 1325 रकबा 1.50 है0 कुल किता 2 रकबा 2.06 है0 भूमि खातेदार के शामलात रिकॉर्ड है। वर्तमान में उक्त ख. नं अन्य का कब्जाकाश्त होना नहीं बताया है। ख. नं. 922 रकबा 0.20 है0 पर प्रार्थीगण का कब्ज़ा नहीं है। आवेदक का अन्य पडोसी खातेदारों से सीमा विवाद नहीं है। आवेदक का अन्य पड़ोसी खातेदारो से सीमा विवाद नहीं होने से पक्षकार नही बनाया है। उक्त ख. नं पर किसी न्यायालय से स्थगन नही है । आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमाओं में अतिक्रमीत राजकीय भूमि नहीं है। उक्त आराजीयात का पूर्व में सीमाज्ञान नही हुआ है। पटवारी हल्का गुराई की रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढी का मूल उद्देश्य उक्त सभी ख. नं. पर पत्थरगढी करवाना हे। ख. नं. 922 में आवेदक का कब्जा होना नहीं पाया गया है। भूमि पर आवेदक के पारिवारिक कब्जेकाश्त को लेकर विवाद होना पाया गया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का गुराई की रिपोर्ट की छायाप्रति के साथ श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार नगरफोर्ट की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार ख. नं. 922 पर प्रार्थीगण कब्जाकाश्त नहीं होना पाये जाने से ख. नं. 922 को छोड़कर अन्य ख. नं. 1204 व 1325 पर प्रार्थीगण का कब्जा होने से इन खसरा नम्बरो के लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः तहसीलदार नगरफोर्ट को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबन्दी सम्वत 2074–77 में अंकित खाता संख्या 476 खसरा नम्बर 1204 रकबा 0.56 है0, खसरा नम्बर 1325 रकबा 1.50

है0, भूमि, वाके ग्राम गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान की पत्थरगढी की जावे। प्रार्थीगण का कब्जा नहीं होने की स्थिति में विवादित आराजीयात का सीमाज्ञान कर प्रार्थी/प्रार्थीगण को उक्त विवादित आराजी भूमि की सीमाओ से अवंगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली